संदर्भ: भा.प्रौ.सं. मंडी/हिन्दी प्रकोष्ठ/2023-24 दिनांक: 19-12-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भा. प्रौ. सं. मंडी के स्कूलों/केन्द्रों/प्रभागों/विभागों/प्रकोष्ठों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किए जाने के संबंध में।

संघ की राजभाषा नीति के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में शामिल अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों और लक्ष्यों के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कार्यालय का उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा विभाग के सभी अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों का पूर्ण अनुपालन करें।

इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 7 नवंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/4/2022-रा.भा.ए के माध्यम से राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में कार्यरत सभी संकायों/कार्मिकों के लिए यह वैधानिक अपेक्षा एवं अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेज़ों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेज़ी में साथ-साथ जारी करें। साथ ही, ऐसे 14 दस्तावेज़ जारी करते समय यह भी ध्यान रखें कि पहले हिन्दी और फिर उसके बाद में अंग्रेज़ी का प्रयोग हो। इसके अलावा, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते समय यह ध्यान रखे कि ऐसे पत्र जो आपको हिन्दी में प्राप्त होते हैं, उनका प्रतिउत्तर केवल हिन्दी में जारी करें।

यदि किसी संकाय/कार्मिक को इस संबंध में अधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो वे हिन्दी प्रकोष्ठ में संपर्क कर सकते हैं।

कुमार सम्भव

डॉ. कुमार संभव पाण्डेय
कुलसचिव

अनुलग्नक:

1. शिक्षा मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित 14 दस्तावेज़

प्रतिलिपि: -

1. निदेशक कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष - अधिष्ठाता कार्यालय/स्कूल/केंद्र/प्रभाग/विभाग/प्रकोष्ठ/केन्द्रीय पुस्तकालय
3. वेब पोर्टल
4. नोटिस बोर्ड

Ref: भा. प्रौ. सं. मंडी/हिन्दी प्रकोष्ठ/2023-24

Dated: 19-12-2023

Office Memorandum

Sub: Regarding the full compliance with Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 and Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, in the Schools/ Centers/ Divisions/ Sections/ Departments, etc., of the IIT Mandi.

In alignment with the language policy of the Union and in accordance with the Annual Program for the year 2023-24 as stipulated by the Department of Official Language, each Government office, including ours, bears the responsibility of ensuring complete adherence to the Acts, Rules, and Directives within the purview of the Department of Official Language.

In this regard, the Ministry of Education has issued Office Memorandum No. 11011/4/2022-O.L dated 7th November, 2023, requesting adherence to the Official Language Act and Rules.

Therefore, it is both a legal requirement and a humble request for all Faculty and Employees currently employed at the Indian Institute of Technology Mandi to issue the 14 specified documents (attached in the list) falling under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, in a bilingual format—simultaneously in Hindi and English. Additionally, kindly ensure that when issuing these 14 documents, Hindi is employed first, followed by English. Furthermore, in accordance with Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, in responding to letters received in Hindi, please ensure that the reply is issued solely in Hindi.

Should any Faculty or Employee require further assistance in this matter, they may contact the Hindi Cell for support.

19/XII.

Dr. Kumar Sambhav Pandey
Registrar

Attachment:

1. Office Memorandum of the Ministry of Education
2. 14 documents mentioned under Section 3(3) of the Official Language Act 1963

Copy to: -

1. Director's Office
2. HoD - Dean Office/School/Centre/Division/Department/Cells/Central Library
3. Web Portal
4. Notice Board

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सं.ई. 11011/4/2022-रा.भा.ए दिनांक : 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी 14 दस्तावेजों (सूची संलग्न) को द्विभाषी रुप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु यह देखने में आया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/आयोगों/ विश्वविद्यालयों/बोर्डों आदि में उक्त अधिनियम के उपबंधों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अतएव सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे। इस संबंध में तत्काल संदर्भ के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/10/90-रा.भा.(ख-2), दिनांक 26 जून, 1990 की प्रति संलग्न है।

(जगदीश राम पौरी)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों/ आयोगों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संगठनों आदि के प्रमुख ।

प्रतिलिपि

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा और प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाइल।

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

अनुलग्नक

धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	particulars
1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	परिपत्र	Circulars
4.	नियम	Rules
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11.	अनुज्ञा पत्र	Permits
12.	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13.	अधिसूचनाएं	Notifications
14.	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

का॰ज्ञा॰ सं॰ 12024/10/90-रा॰भा॰ (ख-2), दिनांक 26.6.1990

विषय:— राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में यानी हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें; परन्तु देखने में आया है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाए जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किए जा रहे हैं। लाइसेंस, परमिट, करार, संविदाएं हिन्दी में भी तैयार होनी अनिवार्य हैं। कुछ मामलों में इस तरह के कागजात का हिन्दी रूपान्तर इतनी देर से जारी किया जाता है कि वह निरर्थक हो जाता है। इनमें से सामान्य आदेशों और परिपत्रों को तो अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा और आगे परिचालित किया जाना होता है और यदि उन्हें इसका हिन्दी रूपान्तर साथ-साथ नहीं मिलता तो उन्हें हिन्दी अनुवाद स्वयं कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर समय और श्रम का दुरुपयोग होता है वहीं दूसरी ओर अनुवाद की प्रामाणिकता और एकरूपता भी नहीं रह पाती। वस्तुत: इस तरह के सभी कागजात मूल मंत्रालय/विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाने अपेक्षित हैं।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे।